

रा. 5-18

पञ्जावली राजस्व लोक अदालत समिपान, न्याय
आपके द्वारे - 2018 में अदालत से न्याय के लिए आवेदन
पेशा हुई। वही मूल न्याय खारिज
हो चुका है इसलिए त. 3. मा. प. 3 का अर्थ
कोई अंतर्निहित नहीं रह गया है अतः मूल न्याय
के परिपेक्ष में त. 3. मा. प. 3 भी खारिज किया
गया। पञ्जावली के सल सुमार टैकर हर्ष
जम्बर से कर्मटो। आदेश मजसे आम में
सुनाया गया।

सुपखण्ड अधिकारी
संभर लोक